न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 06/16 निर्णय दिनांकः— 24/3/22
(जीसीएमएस संख्या 2016/00407)

1. आनन्द यादव पुत्र श्याम सुन्दर यादव जाति यादव निवासी उदयरामसर तहसील बीकानेर हाल विद्याधर नगर जयपुर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. रविशंकर पुत्र गोरधनसिंह जाति यादव निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर हाल बी—126 करणीनगर, बीकानेर।
2. दयाशंकर पुत्र गोरधनसिंह जाति यादव निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर हाल ए—36 सादुलगंज, बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31—05—2013
सहायक कलेक्टर, बीकानेर

उपस्थितः—
1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील [illegible] कलेक्टर, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31—05—2013 जिसके [illegible] विधि विरुद्ध तरीक से निर्णय व डिक्री पारित की गई है के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम उदयरामसर के खेत खसरा नम्बर 184 तादादी 0.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 185 तादादी 10.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 तादादी 3.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 194 तादादी 10.26 हेक्टर इस प्रकार कुल 24.62 हेक्टर भूमि अपीलांट के पिता श्यामसुन्दर व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा इनकी बहिन शारदा के नाम से खातेदारी भूमि रही है। उक्त भूमि के विभाजन के बाबत् अपीलांट् के पिता श्यामसुन्दर द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की बहिन शारदा द्वारा अपना हिस्सा अपीलांट् के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हक में रिलिज करने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि 1/3–1/3 हक हिस्से की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अपीलांट् के पिता द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन के प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि उक्त प्रस्ताव जो भेजे गये है वह बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के सिद्वान्तों के विपरीत एवं विभाजन प्रस्ताव किसी भी प्रकार से व्यवहारिक नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरान्त विभाजन के प्रस्ताव हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किये जाने पर तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में प्रस्ताव तैयार करवाये जाने चाहिए थे, परन्तु तहसीलदार द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई। ना ही तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर उपस्थित होकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये गये। जिस पर संबंधित तहसीलदार द्वारा काऊन्टर साईन किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 के विरूद्व जाकर प्रस्ताव प्रेषित किया जाना साबित है। विभाजन के मामलों में माननीय राजस्व अपील अथॉरिटी की वृहद पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में नियम 18 से 21 पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव तैयार करें। जबकि प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्ताव तैयार किये गये है। इस प्रकार अदालत मातहत का उक्त कृत्य माननीय राजस्व मण्डल की मंशा के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है क्योंकि विभाजन के मामलें में बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स मौके के अनुसार सभी पक्षों के धारण की भूमि व कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन हो सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत विभाजन के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा न्यायालय का ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकओं की तरफ करवाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन के प्राथमिक प्रस्ताव पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/वादी की आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी/गौर किये बिना एकतरफा तौर पर उक्त आपत्ति को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जब अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत हो चुके थे, कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके का निरीक्षण नहीं किया गया है व वादी द्वारा प्रस्तुाव के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाना चाहिए था कि वे स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन के प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रेषित करावें। अदालत मातहत द्वारा अपना माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट्स को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का जारी डिक्री किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा वाद के संबंध में कथन किया कि अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलांट् के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पिता श्री श्यामसुन्दर का स्वर्गवास दिनांक 04—02—2014 को हो गया था। अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद के संबंध में अपीलांट् के पिता द्वारा अपीलांट् को कभी भी तारीख पेशी आदि की जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। अपीलांट् जयपुर में निवास करता है तथा जब कभी भी बीकानेर आता तो अपीलांट के पिता द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के जैरकार होने का कथन किया जाता रहा। परन्तु लम्बे समय तक अपीलांट् के पिता के अधिवक्ता द्वारा जैरकार वाद की कोई सूचना नहीं दिये जाने पर अपीलांट् सर्वप्रथम दिनांक 05—01—2016 को अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब अपीलांट् को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31—03—2013 की जानकारी प्राप्त हुई, तब अपीलांट् द्वारा दिनांक 05—01—2016 को नकल आदि प्राप्त करने के उपरान्त बिना किसी विलम्ब के अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इसप्रकार अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील बिना विलम्ब के प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व डिक्री निरस्त फरमाये जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016—12 स्प. पेज 711, आरआरटी 2016 पार्ट I पेज 87, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 258, आरआरडी 2009 पेज 378, आरआरडी 2011 पेज 558, आरआरडी 2019 पेज 577, आरआरडी 2019 पेज 281 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के वाके ग्राम उदयरामसर के खेत खसरा नम्बर 184 तादादी 0.41 हेक्टर, खसरा नम्बर 185 तादादी 10.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 तादादी 3.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 194 तादादी 10.26 हेक्टर इस प्रकार कुल 24.62 हेक्टर भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट्स की एक संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त [illegible] पर वादी एवं प्रतिवादीगण का का 1/3 — 1/[illegible] हिस्सा निहित [illegible] से बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार थे तथा [illegible] बटवारे के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के विधिवत विभाजन हेतु अपीलांट् के पिता श्यामसुन्दर द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर के विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री दिनांक 20—08—2010 को जारी करते हुए संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किये जाने पर वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जे काश्त, धारण की भूमि व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुए विभाजन के प्रस्ताव अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रस्ताव पर अपीलांट्/वादी ने असहमति वयक्त किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अंतिम डिक्री जारी करते समय अपीलांट्/वादी की आपत्ति को इस आधार पर खारिज किया गया कि विभाजन के प्रस्तावो का अवलोकन किये जाने पर उक्त प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर तैयार कर भिजवाये गये है अतः विभाजन बाबत् आपत्ति खारिज की जाती है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत तरीके से अपीलांट्/वादी की आपत्ति को खारिज किया गया है।

प्रकरण में जहाँ तक वादग्रस्त भूमि के विभाजन का प्रश्न है, विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि पर पक्षकारों के धारण एवं कब्जे काश्त की भूमि का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं? अर्थात वादाधीन भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया गया है अथवा नहीं? प्रकरण में अदालत मातहत के निर्देशों के अनुसरण में संबंधित पटवारी द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 पूर्ण रूप से पालना करते हुए विभाजन को प्रस्ताव तैयार किये गये तथा विभाजन के प्रस्ताव में सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन पक्षकारों के मध्य करते हुए प्रस्ताव तैयार किये गये है। अदालत मातहत द्वारा उसी के अनुरूप [illegible] के मध्य पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन करते हुए आदेश जेर अपील पारित किया गया है। ऐसीस्थिति में अपीलांट का यह कथन स्वीकार योग्य कथन नहीं है कि अदालत मातहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किये गये है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/रेस्पोडेन्ट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत तरीके से वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स करते हुए रास्ते के आज्ञापक प्रावधान को भी विभाजन प्रस्ताव में शामिल करते हुए सभी सहखातेदारों को रास्ता उपलब्ध करवाया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद के बिन्दु पर कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में स्वयं यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट् के पिता द्वारा भूमि के विभाजन हेतु वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है, इस तथ्य की जानकारी थी तथा यह भी अंकित किया है कि अपीलांट् अपने पिता के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता से जैरकार वाद की जानकारी प्राप्त करता तो आश्वासन दिया जाता कि वाद में प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है तथा अंकित डिक्री जारी होने पर आपको सूचना दे दी जायेगी। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट् निरन्तर अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहे है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—05—2013 को पारित किया गया था। जिसकी मियांद 60 दिवस है। अपीलांट् के पिता की मृत्यु दिनांक 04—02—2014 हो हुई जोकि अपीलाधीन आदेश पारित होने के उपरान्त 249 दिन बाद हुई है। इसलिए अपीलांट् का कथन कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के पश्चात् 2 वर्ष 08 माह उपरान्त अर्थात 956 दिन के उपरान्त अपील प्रस्तुत की गई है जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये गये है वह इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं माने जा सकते है। इसी क्रम में उन्होनें कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की बहिनों द्वारा वर्ष 2014 में रिलीज डीड करवाई थी। जिसका इंतकाल संख्या 1567 दर्ज करवाया गया तथा जमाबन्दी सवंत् 2068—71 दिनांक 08—10—2014 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। ऐसीस्थिति में यह स्वीकार योग्य कथन है कि अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि के बाबत् की जा रही तमाम कार्यवाहियों की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अपीलांट् द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पर में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे समस्त कारण वेग है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ—साथ गुणावुगुण पर खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 261, आरआरटी 2008 पार्ट II पेज 1408, आरआरटी 2009 पार्ट I पेज 179, आरआरटी 2009 पार्ट I पेज 432, आरआरटी 2015 पार्ट I पेज 232, आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 117, आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 711, आरआरटी 2018 पार्ट I पेज 88, आरआरटी 2018 पार्टII पेज 1112 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—05—2013 के विरूद्व अपील दिनांक 12—01—2016 को प्रस्तुत की गई है। जोकि अपीलाधीन आदेश पारित होने के कारीब 2 वर्ष 08 माह पश्चात् प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05—01—2016 को होना अंकित करते हुए जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत करने का कथन किया गया है। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज करने का कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

थी तथा अपीलांट द्वारा जानबूझ कर अपील देरी से प्रस्तुत की गई है व अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वह वेग कारण है। अतः अपीलांट् की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

इस संबंध में हमाने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र व रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब मियांद प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रथमतः यह तथ्य स्पष्ट है कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट् आनन्द यादव के पिता स्व. श्री श्यामसुन्दर द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त तथ्य की जानकारी अपीलांट को होना स्वयं अपीलांट् द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि व बीकानेर आता तो अपने पिता द्वारा नियुक्त अधिवक्ता से मिलकर तारीख पेशी के बारे में पूछताछ करता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् को अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद की जानकारी होना साबित होता है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–05–2013 को पारित किया गया है जिसके विरूद्व अपील दो वर्ष आठ माह पश्चात् प्रस्तुत की गई है, अपीलांट् द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वह इतनी लम्बी अवधि को कण्डोन करने के पर्याप्त कारण होना नहीं माना जा सकता क्योंकि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपनी बहिनों द्वारा वर्ष 2014 में करवाई गई रिलिड–डीड के आधार पर नामान्तरणकरण संख्या 1567 दर्ज किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपीलांट् के इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह वादग्रस्त भूमि के बाबत् जानकारी नहीं रखते है। ऐसीस्थिति में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील होने से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को श्मय नहीं किया जा सकता।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत मामलें में वादग्रस्त भूमि तहसील बीकानेर के [illegible]म उदयरामसर के खेत खसरा नम्बर 184 तादादी [illegible] हेक्टर, खसरा नम्बर 185 तादादी 10.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 193 तादादी 3.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 194 तादादी 10.26

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हेक्टर इस प्रकार कुल 24.62 हेक्टर भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट् के पिता द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 20–10–20160 को प्राथमिक डिक्री व दिनांक 31–05–2013 को अंतिम डिक्री पारित की गई। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन किय कि वादगत् भूमि के बाबत् दिनांक 20–10–2010 को जारी प्राथमिक डिक्री के प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाकर पटवारी द्वारा जारी किये गये है जोकि विभाजन के नियम 18 से 21 के विरूद्व होने से स्वीकार योग्य नहीं है व उक्त प्रस्ताव के बाबत् अपीलांट् के पिता/वादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। उक्त आपत्ति पर अपीलांट्/वादी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के विभाजन का प्रश्नहै, इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शें व विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वे वादगत् भूमि के बाबत् मौके पर कब्जे काश्त व पक्षकारों के हिस्से की भूमि के अनुसार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार प्रस्तुत करें। अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में वादगत् भूमि के बाबत् मौके पर कब्जे काश्त व पक्षकारों के हिस्से की भूमि के अनुसार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार किया गया। उक्त नजरी नक्शे व मौका रिपोर्ट के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वादगत् भूमि का विभाजन का प्रस्ताव सही रूप से अर्थात बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छे से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का विभाजन सभी पक्षकारों को रास्ता उपलब्ध कराते हुए खाता विभाजन की रिपोर्ट तैयार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील व दौराने बहस प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष उठाये गये प्रश्न है इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए यह अभिलिखित किया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गया है कि विभाजन के प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर तैयार कर भिजवाये गये है अतः विभाजन के बाबत् की गई आपत्ति खारिज की जाती है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत आपित्त पर सुनवाई नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि को लेकर उनके हक—हकूकों, उनके धारण की भूमि, उनके कब्जे काश्त की भूमि का किस प्रकार से ध्यान नहीं रखते हुए उनके विधिक अधिकारो का हनन किया गया। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दुओं को सहारा लेकर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के धारण की भूमि को कम अथवा ज्यादा किया गया है या नहीं? एक दूसरे के कब्जे काश्त व धारण की भूमि ध्यान रखा गया है या नहीं? एवं विभाजन करते समय रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है या नहीं? अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में विभाजन के सभी आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना युक्तियुक्त व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु के साथ—साथ गुणावगुण के बिन्दु पर खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31—05—2015 सहायक कलेक्टर, बीकानेर बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 24/3/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested

24/3/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

डिकरी ब सीगे अपील

(ऑ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G' 9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम बीकानेर
बइजलास रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

आनन्द यादव बनाम रविशंकर
(अपील संख्या 06/16)

बनाराजगी निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बीकानेर
मुवर्खे 31–05–2013

यह अपील ब–तारीख 24 माह 03 सन् 2022 रूबरू हमारी ब हाजरी श्री करण सिंह तंवर अभिभाषक अपीलांट् व श्री सत्यपाल सहू अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स पेश होकर हुक्म हुआ। जिसके अनुसार अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर सहायक कलेक्टर, बीकानेर का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2013 यथावत बहाल रखा गया।

(खर्चा अपील हाजा का हल्व तफ्सीस जेरे तादादी मुबलिग .....–.....) रूपयें अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....–..... अदा करें ।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 24 माह 03 सन् 2022 को जारी किया गया।

24/3/2022

मुहर

हस्ताक्षर राजस्व अपील प्राधिकारी,
बीकानेर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोडेन्ट	रू.	य पै.
1. स्टाम्प अपील..... 2. स्टाम्प वकालतनामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत् ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालतनामा..... 2. अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील ..... मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 19:03:32 IST
Reason: SelfAttested